सं0/05/उत्तीस(2)/05–2(10पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 23 फरवरी, 2006

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल की भीमताल पेयजल योजना पार्ट–।।। की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1665/अपेजल–नैनीताल/ दिनांक 13.12. 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल की भीमताल पेयजल योजना पार्ट–।।। के रू0 239.25 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 228.95 लाख (रू0 दो करोड़ अट्ठाईस लाख पिच्यानवे हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करने के साथ ही उक्त स्वीकृति के विपरीत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 601/उत्तीस /04/2(45पे0)/2004, दिनांक 15.03.2005 के द्वारा निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से आवश्यकतानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेशण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के

क्रमशः...2

अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली–भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि, दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या 601/उन्तीस(45पे0)/2004, दिनांक 15.03.2005 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्वतन पर रखी गई धनराशि में ही व्यय किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.06 तक अवश्यक कर लिया जाये तथा तदोपरान्त वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–119/XXVII (2)/2006 दिनांक 15 फरवरी 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 105/उन्तीस(2)/05–2(10पे0)/2006,तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमॉयू ।
3– जिलाधिकारी, नैनीताल।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
5– स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्तबजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन
7– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल ।
8– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
9– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव